[2018] 7 एससीआर 1128

मोहम्मद ज़ाकिर

बनाम शबाना और ओआरएस।

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 926) 23 जुलाई, 2018

[कुरियन जोसेफ और संजय किशन कौल, जेजे।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 362 – आदेश को वापस लेते हुए – उच्च न्यायालय ने अपने ही आदेश को वापस ले लिया, जिससे यह स्पष्ट रूप से गलत हो गया – औचित्य: उचित नहीं – धारा 362 का पूरा उद्देश्य केवल लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करना है – हालांकि, उच्च न्यायालय ने गुण–दोष के आधार पर मामले की पुन: सुनवाई करने की मांग की – यह कानून के तहत अनुचित है।

अपील का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा: उच्च न्यायालय को गुण–दोष के आधार पर सुधार के लिए सीआरपीसी की धारा 362 के तहत शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए था। हालांकि पहले का आदेश स्पष्ट रूप से गलत हो सकता है, इसे केवल कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया में ठीक किया जा सकता है, न कि सीआरपीसी की धारा 362 के तहत। सीआरपीसी की धारा 362 का पूरा उद्देश्य केवल लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करना है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में जो करने की मांग की, वह लिपिक यी या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करने के लिए नहीं है; इसने गुण–दोष के आधार पर मामले की पुन: सुनवाई करने की मांग की, क्योंकि न्यायाधीश के अनुसार, पहले का आदेश स्पष्ट रूप से गलत था। कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है। [पैरा 4] [1129–डी–ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:2018 की आपराधिक अपील संख्या 926। 2017 की याचिका संख्या 2351 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 28.04.2017 के फैसले और आदेश से।

गोपाल शंकरनारायणन (एसी), श्रुतंजय भारद्वाज (एसी), जोसेफ अरस्तू एस, श्रीमती प्रिया अरस्तू, सुश्री पायल एन गायकवाड़, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए। मोहम्मद जाकिर, अपीलकर्ता–इन–पर्सन।

1128 मोहम्मद जकीर बनाम शाबाना और ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय

कुरियन, जे.1 द्वारा दिया गया था। छुट्टी मंजूर कर ली गई।

2. हमने याचिकाकर्ता को सुना है, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हो रहे हैं, श्री जोसेफ अरस्तू एस, प्रतिवादी नंबर 1 से 4 की ओर से पेश हुए विद्वान वकील और श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वकील, जिन्हें इस मामले में न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. अपीलकर्ता व्यथित है क्योंकि उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.04.2017 को सीआरपीसी की धारा 362 के तहत अपने 18.04.2017 के आदेश को वापस लेते हुए एक आदेश पारित किया था। दिनांक 28.04.2017 के आदेश में कहा गया है: "सीआरपीसी की धारा 362 के बावजूद इस न्यायालय द्वारा 18.04.2017 को दिया गया आदेश स्पष्ट रूप से गलत पाया जाता है और इसलिए आदेश वापस लिया जाता है। याचिका दायर करने के लिए बहाल की जाती है और रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह पहले पारित आदेश को वेबहोस्ट न करे और इस तथ्य पर ध्यान दे कि आदेश वापस ले लिया गया है।

4. उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 362 के तहत योग्यता के आधार पर सुधार के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। हालांकि पहले का आदेश स्पष्ट रूप से गलत हो सकता है, इसे केवल कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया में ठीक किया जा सकता है, न कि सीआरपीसी की धारा 362 के तहत। सीआरपीसी की धारा 362 का पूरा उद्देश्य केवल लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करना है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में जो करने की मांग की, वह लिपिक यी या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करने के लिए नहीं है; इसने गुण–दोष के आधार पर मामले की फिर से सुनवाई करने की मांग की, क्योंकि विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, पहले का आदेश स्पष्ट रूप से गलत था। कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है। तदनुसार, हम दिनांक 28.04.2017 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं।

5. अब जब पक्ष हमारे सामने पेश हुए हैं, तो हमने पाया है कि अपीलकर्ता ने आपराधिक अपील संख्या 95/2017 में 25.01.2017 को सत्र न्यायालय द्वारा जारी नोटिस से व्यथित होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। चूंकि उक्त अपील प्रधान सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरु के समक्ष लंबित है, इसलिए हम गुण–दोष के आधार पर मामले से निपटने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.04.2017 के आदेश को रद्द करते हैं और प्रधान शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश, बंगाल को आपराधिक अपील संख्या 95/2017 को तेजी से निपटाने के निर्देश के साथ इस अपील का निपटारा करते हैं।

6. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाएगा। अंकित ज्ञान अपील का निपटारा।

Digitally signed by Sadhana Kumari Gupta
Date: 2023.10.28 16:41:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court